न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान

A.B.P. No.-515/2026

अभय कुमार उर्फ अभय सिंह उर्फ अप्पु सिंह बनाम् बिहार सरकार

[महाराजगंज थाना कांड संख्या 515/2025]

आदेश

06.03.2026 आवेदक/अभियुक्त **अभय कुमार उर्फ अभय सिंह उर्फ अप्पु सिंह पे0 दिनेश सिंह** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन सं0 3499/2025, महाराजगंज थाना कांड संख्या 515/2025, अंतर्गत धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता श्री अभय कुमार रंजन एवं विपक्षी विद्वान् अपर लोक अभियोजक श्री रघुवर सिंह को सुना।

संक्षेप में अभियोजन का कथन यह है कि सूचिका की शादी आज से 23 साल पूर्व लखनऊ निवासी स्कन्द मिश्रा के पुत्र अमित मिश्रा से हुई थी। शादी के बाद सूचिका फरीदाबाद में रहती है। जहां सूचिका का आर्किटेक्ट का व्यवसाय है। सूचिका के पति आर्मी में है। सूचिका अपने चचेरा भाई पंकज उपाध्याय को अपने सहयोग हेतु अपने साथ रखती थी। आज से करीब दो माह पूर्व पंकज उपाध्याय घर बनवाने के लिए अपने गांव आए। दिनांक 12.09.2025 को सूचिका तुषार सिंह उर्फ तुफान सिंह, उमेश साह उर्फ बिगन साह द्वारा अपने मोबाईल से सूचिका के माबाईल पर सूचना दी गई कि पंकज उपाध्याय को बी.बार.डी.हॉस्पीटल गोरखपुर लेकर आए हैं। जहां इनकी स्थिति बहुत ही नाजुक है। आप यथाशीघ्र आने का कष्ट करें। इस जानकारी के बाद सूचिका तुरंत गोरखपुर के लिए प्रस्थान कर दी और दिनांक 13.09.2025 को सुबह 11:30 में बी.आर.डी. हॉस्पीटल गोरखपुर पहुंची। सूचिका पंकज उपाध्याय को बिल्कुल अचेत अवस्था में देखी और यथासंभव सूचिका द्वारा प्रयास किया गया कि इनकी स्थिति में सुधार हो। लेकिन जब उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ तो डॉक्टर ने उन्हें एम्स दिल्ली के लिए रेफर कर दिया। पंकज उपाध्याय को निजी एम्बुलेंस से लेकर सूचिका दिल्ली एम्स के लिए चली। लेकिन मथुरा के नजदीक उनकी मृत्यु हो गई। वहां से सूचिका उन्हें लेकर फरीदाबाद अपने आवास पर चली गई और वहीं पर दाह–संस्कार कर दी। दाह–संस्कार करने के बाद सूचिका बंगरा गांव उनका श्राद्धकर्म करने हेतु आ गई, जहां दिनांक 29.09.2025 को श्राद्धकर्म सम्पन्न हुआ। श्राद्धकर्म सम्पन्न होने के बाद सूचिका जब पता लगाने की कोशिश की कि पंकज उपाध्याय को चोट कैसे लगी थी जिसके बाद तुषार सिंह उर्फ तुफान तारिणी सिंह, उमेश साह उर्फ बिगन साह एवं तारकेश्वर उपाध्याय ने बताया कि दिनांक 08.08.2025 को सन्नी सिंह ने अपनी पत्नी के नाम से पंकज उपाध्याय से कुछ जमीन बैनामा लिखवाया था। लेकिन पुरा पैसा नहीं दिया और जब बाकी पैसे की मांग पंकज उपाध्याय ने की तो 1. सन्नी सिंह, 2. अभय सिंह उर्फ अप्पु सिंह, 3. दिनेश सिंह, 4. विपुल सिंह, 5. धीरज सिंह ने मिलकर पंकज उपाध्याय को 10.09.2025 को रात्रि 10:30 में लाठी, डंडा से मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिया जिससे वे बेहोश हो गए और उन लोगों ने यह जान लिया कि पंकज उपाध्याय अब नहीं बचेंगे। जिसके बाद यह कहना शुरू कर दिया कि सिढ़ी से गिरने की वजह से उन्हें चोट लगी है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है और उन्हें उनके दुश्मनों के इशारे पर महाराजगंज थाना कांड संख्या 192/2022 के कारण इस मामले में झूठे आरोप में फंसाया गया है और आवेदक/अभियुक्त की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 3499/2025 दाखिल किया गया था जिसे पूर्व में इसी न्यायालय द्वारा खारिज किया गया था। उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय पटना के समक्ष कोई जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक के खिलाफ विभिन्न थानों में मामले पंजीकृत है। सभी आवेदक एक ही परिवार के सदस्य हैं और अभियोजन की कहानी पूरी तरह से झूठी, मनगढंत और निराधार है और इस मामले के सूचिका प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं हैं और कथित घटना कभी घटी हीं नहीं है। लिखित रिपोर्ट लगभग 42 दिन की देरी से पंजीकृत कराया गया है जिसके संबंध में कोई संतोषजनक

स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है और लिखित रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि न तो सूचिका ने और न ही डॉक्टर ने मृतक के शरीर पर कोई चोट बताया कि मृतक को चोट लगी थी। पंकज उपाध्याय की मृत्यु की तिथि, समय और स्थान का उल्लेख लिखित रिपोर्ट में नहीं किया गया है। आवेदक को पुलिस द्वारा इस मामले में अवैध रूप से गिरफ्तार किए जाने की आशंका है। आवेदक/अभियुक्त मामले की जांच और सुनवाई में अपना पूर्ण सहयोग देने का वचन देते हैं। अतः उनके द्वारा आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई।

विद्वान् अपर लोक अभियोजक श्री रघुवर सिंह के द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए अपने तर्क में कहा है कि आवेदक द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का अपराध है। अतः अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज किया जाय।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में प्राथमिकी महाराजगंज थाना कांड संख्या 515/2025, अंतर्गत धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध पंजीकृत कराई गई है। कांड दैनिकी के कंडिका संख्या 02 में वादिनी का पुनः बयान अंकित है जिसमें उसने प्राथमिकी तथा घटना का पूर्ण समर्थन किया है। कांड दैनिकी के कंडिका संख्या 05 से 07 तक में साक्षियों का साक्ष्य अंकित है। कांड दैनिकी की कंडिका संख्या 53 में अभियुक्त अभय कुमार उर्फ अभय सिंह उर्फ अप्पु सिंह का अपराधिक इतिहास अंकित है जिसमें उसके खिलाफ पहले से एक मामला पंजीकृत है। जमानत आवेदन के अनुसार भी एक मामला पंजीकृत है। आवेदक की ओर से पूर्व में अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 3499/2025 दाखिल किया गया था जिसे पूर्व में इसी न्यायालय द्वारा गुण दोष के आधार पर खारिज किया गया है। तत्पश्चात् कोई नवीन तथ्य उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन खारिज होने योग्य है।

अतः आवेदक/अभियुक्त **अभय कुमार उर्फ अभय सिंह उर्फ अप्पु सिंह** के तरफ से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक 20.02.2025 को उपरोक्त के आलोक में **खारिज** किया जाता है।

लेखापित
ह0/–
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय,
सिवान।
दिनांक 06.03.2026